


01 15-1-25 पत्रावली भाज. कपी दफ्त व अधिवक्ता

र. रानी  
पध्यानी  
सूरज

के पेश करने पर पेशी में ली। पी। वादी द्वारा  
उद्धृत प्रार्थना पत्र में अंकन किया कि वादी  
व प्रतिकारी का राजीनामा ही पुजा है। (राजिनामा)  
के आधार पर मैं उच्च न्यायालय को आगे  
चलाना नहीं चाहती हूँ। अगर वाद इसी स्तर  
पर खारिज किया जाता है तो मुझे प्रार्थना पत्र  
कोई आपत्ति नहीं है।



अह प्रार्थना पत्र उद्धृत प्रार्थना पत्र  
इसी स्तर पर स्वीकार किया जाता है बिना  
विवाद किया जाता है पत्रावली में जला सुना  
के कर दाखिल 4 फरवरी 2025

  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीविजयनगर

